

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)**

प्रकरण संख्या :- 95/23

तारीख 8/5/23

भैरु पुत्र नंदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

**बनाम**

01. नगजीराम पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) *नाम हथपों गया*
02. बहादूर पुत्र भवाना जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. सदाराम पुत्र भवाना जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट**

—: आदेश :-

दिनांक: 30/5/23

प्रार्थना पत्र भैरु पुत्र नंदा जाति धाकड़ निवासी गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 106 पर अंकित आराजी संख्या 828/113 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढ़ी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 106 पर अंकित आराजी संख्या 828/113 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ  
जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 95/23

तारीख 8

6/6/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 95 ..... / 2023 पत्थरगढ़ी बाबत।

भैरू पुत्र नंदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)


.....प्रार्थी

बनाम

- x 01. नगजीराम पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) नाम हमदा गया
02. बहादूर पुत्र भवाना जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. सदाराम पुत्र भवाना जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 106 पर अंकित आराजी संख्या 828/113 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/-तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा